



छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 24मार्च, 2012

क्रमांक एफ 20-110/2009/ग्यारह/(छै:), राज्य शासन की "औद्योगिक नीति 2009-14" की कंडिका 10.1 एवं इसके परिशिष्ट-4 के बिन्दु क्रमांक 2 में वर्णित प्रावधान अनुसार राज्य में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु घोषित "स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2009" दिनांक 1 नवंबर 2009 से निम्नानुसार लागू करता है :-

(1) परिचय

राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग एवं मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की उत्पादन लागत कम करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने तथा अप्रवासी भारतीय / शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, विकलांग तथा अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी हेतु औद्योगिक नीति 2009-14 में पूर्व औद्योगिक नीति की "छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत-स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना" को संवर्धित कर "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना" बनायी गई है ।

यह योजना शासन की औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने की रणनीति एवं कार्यनीति पर आधारित है ।

(2) नियम

ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2009" कहे जावेंगे ।

(3) परिभाषाएं :-

इन नियमों के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग के विस्तार, शक्तीकरण, बैकवर्ड इन्टीग्रेशन, फारवर्ड इन्टीग्रेशन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, सामान्य उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतुप्त श्रेणी के उद्योग, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय / शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी, वाणिज्यिक

उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, स्थायी पूंजी निवेश/ स्थायी पूंजी निवेश की गणना एवं इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वहीं होंगी जो औद्योगिक नीति 2009-14 एवं इसके परिशिष्ट-1 पर अधिसूचित की गई है ।

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है – लघु उद्योग पंजीयन/ ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र । इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज के निर्धारित वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति / ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली हो ।

(4) पात्रता

(4.1) औद्योगिक नीति 2009-14 की कालावधि दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले "उपाबंध -1" में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर शेष सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/ शक्तीकरण/फारवर्ड इंटीग्रेशन / बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(4.2) भारत शासन/ राज्य शासन या किसी अन्य राज्य शासन के निगमों/मंडलों /संस्थाओं/बोर्ड द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(4.3) यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता होने की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

(4.4) पात्र औद्योगिक इकाइयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा ।

(4.5) औद्योगिक नीति 2004-09 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 1.11.2004 को/के पश्चात् उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो जो वैध हो किन्तु 31 अक्टूबर 2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें भी औद्योगिक नीति 2009-2014 के अर्न्तगत (उपाबंध-1 में दर्शाये गये उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन अनुदान प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

(4.6) यदि भारत सरकार/ राज्य शासन के अन्य विभाग/निगम / बोर्ड /मंडल /आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक से अनुदान प्राप्त किया गया हो तो अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(4.7) स्ववित्त पोषित उद्योगों को भी अनुदान की पात्रता होगी ।

(4.8) औद्योगिक नीति 2004-09 के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योग, (जो निगेटिव लिस्ट में हैं) जिनका उद्योग 31 अक्टूबर 2009 तक की स्थिति में विद्यमान रहा है व औद्योगिक नीति 2009-14 में संतृप्त श्रेणी (उपाबंध-1 में दर्शित) के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है ऐसे विद्यमान उद्योगों को विद्यमान उद्योग के विस्तार/ शक्तीकरण/ बैकवर्ड इंटीग्रेशन/ फारवर्ड इंटीग्रेशन पर इस अधिसूचना के तहत अनुदान की पात्रता होगी ।

(4.9) औद्योगिक नीति 2009-14 के अन्तर्गत स्थापित नवीन लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज को आर्थिक दृष्टि से विकासशील एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु निर्धारित मात्रा में निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु निर्धारित दर के आधार पर सामान्य उद्योग की भांति अधिकतम सीमा के अधीन अनुदान की पात्रता होगी ।

(4.10) इन नियमों के अधीन प्राथमिकता उद्योग की श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि, इकाई में संयंत्र एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश की निर्धारित सीमा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-117/2009/ग्यारह/(छैः) दिनांक 24 जनवरी 2012 की तालिका के अनुरूप हो।

(5) अनुदान की मात्रा

पात्र उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान निम्न तालिका में दी गयी मात्रानुसार दिया जावेगा :-

(5.1) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग -

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ- आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध-2 के अनुसार)	<p>(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 30.00 लाख)</p> <p>(2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 31.50 लाख)</p> <p>(3)- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 33.00 लाख)</p> <p>(4)-अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर</p>	<p>(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख)</p> <p>(2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 63.00 लाख)</p> <p>(3)-महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 66.00 लाख)</p> <p>(4)- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर</p>

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 40.00 लाख)	किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 80.00 लाख)
श्रेणी ब— आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध-3 के अनुसार)	<p>(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख)</p> <p>(2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 63.00 लाख)</p> <p>(3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 66.00 लाख)</p> <p>(4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 80.00 लाख)</p>	<p>(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 80.00 लाख)</p> <p>(2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 84.00 लाख)</p> <p>(3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 88.00 लाख)</p> <p>(4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120.00 लाख)</p>

(5.2) मध्यम उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ— आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध-2 के अनुसार)	<p>(1)–सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख)</p> <p>(2)–अप्रवासी भारतीय/शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत(अधिकतम सीमा रू. 63.00 लाख)</p> <p>(3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 66.00 लाख)</p>	<p>(1)–सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 70.00 लाख)</p> <p>(2)–अप्रवासी भारतीय/शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 73.50 लाख)</p> <p>(3)महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत(अधिकतम सीमा रू.77.00 लाख)</p>

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 80.00 लाख)	(4)–अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 100.00 लाख)
श्रेणी ब— आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध-3 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 70.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 73.50 लाख) (3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 77.00 लाख) (4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 90.00 लाख)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 100.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 105.00 लाख) (3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 110.00 लाख) (4)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 125.00 लाख)

(5.3) वृहद उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ— आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध-2 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 90.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 94.50 लाख) (3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 110.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 115.50 लाख) (3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 99.00 लाख) (4)-अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 100.00 लाख)	प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 118.00 लाख) (4)- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120.00 लाख)
श्रेणी ब- आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध-3 के अनुसार)	(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 100 लाख) (2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 105 लाख) (3)- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 110 लाख) (4)- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120 लाख)	(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120 लाख) (2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 126 लाख) (3)- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 132 लाख) (4)- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 140 लाख)

(5.4) मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स -

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ- आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध-2 के अनुसार)	(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 300 लाख) (2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 300 लाख) (3)- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30	(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख) (2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख) (3)- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 300 लाख) (4)-अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 300 लाख)	प्रतिशत(अधिकतम सीमा रू0 350 लाख) (4)- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख)
श्रेणी ब- आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध-3 के अनुसार)	(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उनके उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख) (2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख) (3)- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख) (4)- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 350 लाख)	(1)- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को उनके उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500 लाख) (2)- अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500 लाख) (3)- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत(अधिकतम सीमा रू0 500 लाख) (4)- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की स्थापना पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 500 लाख)

(5.5)- विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट का विस्तार

इस अधिसूचना में प्रावधानित उपरोक्तानुसार अनुदान की मात्रा व सभी प्रावधान निम्नलिखित उद्योगों के मामले में लागू होंगे :-

(एक) नवीन औद्योगिक परियोजनाएं - ऐसे समस्त नवीन उद्योग जो 1 नवम्बर, 2009 तथा 31 अक्टूबर 2014 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करें।

(दो) विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाएं-

दिनांक 1 नवम्बर, 2009 के पूर्व से उत्पादनरत् ऐसी विद्यमान औद्योगिक इकाईयां एवं 1 नवम्बर, 2009 के पश्चात् प्रारंभ नये उद्योग जो उनके

विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी में निवेशित मान्य पूंजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा मूल उत्पादन क्षमता (पंजीकृत क्षमता अथवा विस्तार परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व के तीन वर्षों के औसत वास्तविक उत्पादन, जो भी अधिक हो) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करे एवं 31 अक्टूबर 2014 के पूर्व विस्तार परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करें ।

(तीन) शवलीकरण एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बैकवर्ड इंटीग्रेशन से संबंधित परियोजनाएं – विद्यमान उद्योगों में उत्पादनरत इकाईयों का शवलीकरण करने एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर अनुदान/छूट/रियायतें दी जाएंगी बशर्ते कि वे उनके विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी में निवेशित मान्य पूंजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करे ।

ऐसी छूट केवल यथास्थिति शवलीकृत उत्पाद पर / फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बैकवर्ड इंटीग्रेशन से संबंधित उत्पाद/कच्चा माल – मध्यवर्ती उत्पाद/मूल्य संवद्धित उत्पाद पर ही दी जायेगी, जिसके लिये 31 अक्टूबर 2014 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा ।

(6) प्रक्रिया

(6.1) पात्र औद्योगिक इकाईयों को “उपाबंध-4” के अनुसार निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित दस्तावेजों (जो लागू हो) के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में एक प्रति में तथा इससे भिन्न प्रकरणों में दो प्रतियों में आवेदन देना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद “उपाबंध-5” के अनुसार निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी ।

(6.1.1) वैध-लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट-1/आई0ई0एम0/ औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र (जो लागू हो)

(6.1.2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बैकवर्ड इंटीग्रेशन से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई.एम. पार्ट-2/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज ।

(6.1.3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

(6.1.4) विकलांग से संबंधित प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

- (6.1.5) सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित प्रशासकीय विभागीय/कार्यालय से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
- (6.1.6) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
- (6.1.7) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रति
- (6.1.8) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का **उपाबंध-7** पर निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- (6.1.9) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का **उपाबंध-8** पर निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति)
- (6.1.10) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति) (**उपाबंध-9** के प्रारूप अनुसार)
- (6.1.11) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- (6.1.12) भारत सरकार/ राज्य सरकार के अन्य विभागों / वित्तीय संस्थाओं / बोर्ड / लघु उद्योग विकास बैंक/वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों से स्थायी पूंजी निवेश पर आधारित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र
- (6.1.13) वाणिज्यिक कर विभाग से वैटकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र
- (6.1.14) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा /प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/ अनुज्ञा । (यदि लागू हो)
- (6.1.15) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति।(यदि लागू हो)
- (6.1.16) भूमि व्यपवर्तन/ अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- (6.1.17) नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम 1984 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा।
- (6.1.18) स्थानीय निकायों यथा- ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/ नगर पालिका/ नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (6.1.19) उर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना बाबत जारी अनुमति।(यदि आवश्यक हो)

- (6.1.20) मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी डी0जी0 सेट स्थापित करने की अनुमति का संक्षिप्त विवरण एवं केप्टिव पावर प्लांट होने संबंधी प्रमाण-पत्र ।(यदि आवश्यक हो)
- (6.1.21) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल/निजी उपक्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र ।
- (6.1.22) चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के तहत बायलर स्थापित करने बाबत सम्मति/ अनुज्ञा ।(यदि आवश्यक हो)
- (6.1.23) भू-स्वामित्व /लीज से संबंधित दस्तावेज ।
- (6.1.24) बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाण पत्र ।
- (6.2) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण व स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "उपाबंध-6" के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर न्यूनतम प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से करा कर अपने अभिमत के साथ अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत किया जावेगा तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अभिमत/अनुज्ञा के साथ उद्योग संचालनालय को प्रेषित किये जावेंगे । ऐसे प्रकरणों का निराकरण उद्योग संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा ।
- (6.3) राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार की सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81, दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जायेगी ।
- (6.4) जिला /राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत होने पर यथा स्थिति उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृति आदेश उपाबंध-10 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जावेगा । जिसके साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर औद्योगिक इकाई को अनुबंध का निष्पादन व पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराना होगा । भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट / पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पक्ष में अनुदान स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जावेगी । विभाग की ओर से मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा । प्रकरण यदि निरस्तीकरण योग्य है तो राज्य/ जिला स्तरीय समिति के समक्ष इकाई को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जावेगा ।

प्रकरण के निरस्त होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित समयावधि 45 दिवसों में अपीलीय अधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा ।

समिति के निर्णय हेतु यथास्थिति जिला स्तरीय समिति / राज्य स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी, सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा । सदस्य सचिव का

दायित्व होगा कि वह अधिसूचना के अधीन समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं पर विस्तृत टीप एवं अभिमत/अनुशंसा को समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें ।

- (6.5) अनुबंध के निष्पादन व पंजीयन के उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में जारी स्वीकृति दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।
- (6.6) अनुदान की राशि बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित औद्योगिक इकाई को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दी जावेगी । अनुदान की राशि किसी भी स्थिति में नकद भुगतान नहीं की जायेगी ।
- (6.7) उद्योग संचालनालय द्वारा बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।
- (6.8) बजट आवंटन विलंब से उपलब्ध होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।
- (6.9) समिति का स्वरूप :-

(अ) जिला स्तरीय समिति :-

- | | |
|--|------------|
| (1) कलेक्टर | अध्यक्ष |
| (2) अपर संचालक/संयुक्त संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय | उपाध्यक्ष |
| (3) वाणिज्यिक कर अधिकारी | सदस्य |
| (4) लीड बैंक अधिकारी | सदस्य |
| (5) उद्योग संचालनालय द्वारा नामांकित अधिकारी,
(जो उप संचालक स्तर से कम का न हो) | सदस्य |
| (6) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र | सदस्य सचिव |
- समिति का कोरम 4 होगा ।**

(ब) राज्य स्तरीय समिति :-

- | | |
|---|------------|
| (1) उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग | अध्यक्ष |
| (2) प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी | सदस्य |
| (3) महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय,
रायपुर | सदस्य |
| (4) आयुक्त/ अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग | सदस्य |
| (5) अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय | सदस्य सचिव |
- समिति का कोरम 3 का होगा ।**

(स) योजना के क्रियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के कर्तव्य, अधिकार व दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

- (1) योजना के अर्न्तगत प्राप्त स्वत्वों का संकलन करना/ परीक्षण की कार्यवाही करना/ वांछित समिति से प्रकरणों का निराकरण करवाना ।
- (2) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक 02 माह में बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना, कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना ।
- (3) योजना से संबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का

पालन सुनिश्चित करना व स्वत्वों के भुगतान के संबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना ।

(4) जिला स्तरीय समिति की बैठकों/ निर्णयों की जानकारी मासिक प्रतिवेदन के रूप में अग्रेषित करना ।

(द) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी ।

1- अधिसूचना के अधीन अनुदान योजना के क्षेत्र तथा उसके लागू होने के संबंध में जिला स्तरीय समिति को निर्देश देना ।

2- समिति स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर, अपने स्वयं के निर्णय का या जिला स्तरीय समिति के निर्णय की समीक्षा कर सकेगी, किन्तु किसी प्रकरण विशेष में स्वीकृति आदेश को निरस्त करने अथवा अनुदान राशि में कमी करने पर संबंधित पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिये सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जावेगा ।

3- अधिसूचना के अधीन योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा जिसका पालन जिला स्तरीय समिति को करना होगा ।

4- नियंत्रण से परे कारणों के कारण उद्योग बंद हो जाने अथवा योजना से संबंधित कोई बिंदु जिसका अधिसूचना में उल्लेख नहीं है, पर निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया जावेगा ।

(7) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के वितरण की प्रक्रिया

(7.1) स्थायी पूंजी निवेश की गणना औद्योगिक नीति 2009-14 के "परिशिष्ट क्रमांक 1" में स्थायी पूंजी निवेश की परिभाषा में दी गयी टीप अनुसार की जावेगी ।

(7.2) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के मामलों में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा ।

(7.3) मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के मामलों में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान पांच वार्षिक किश्तों में किया जावेगा ।

(7.4) किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान का आंशिक वितरण होने पर आगामी वर्षों में उद्योग में उत्पादन बंद कर देने पर या अनुबंध की किसी कंडिका का उल्लंघन करने पर अनुदान का शेष वितरण तब तक नहीं किया जावेगा जब तक की उद्योग प्रारंभ न हो जावे / कंडिका का उल्लंघन दूर न कर लिया जावे ।

(7.5) अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान राशि में वितरित मार्जिन मनी अनुदान राशि को कम कर शेष अनुदान राशि का भुगतान किया जावेगा ।

(8) अपील / वाद

(8.1) औद्योगिक इकाई द्वारा जिला स्तरीय समिति के किसी आदेश के विरुद्ध राज्य स्तरीय समिति को एवं राज्य स्तरीय समिति के किसी आदेश के विरुद्ध

राज्य अपीलीय फोरम के समक्ष को आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 45 दिवसों के भीतर प्रथम अपील की जा सकेगी ।

जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध राज्य स्तरीय समिति को की गयी अपील पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिये गये निर्णय से असहमत होने पर द्वितीय अपील राज्य अपीलीय फोरम के समक्ष आदेश संसूचित होने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी । राज्य अपीलीय फोरम का स्वरूप निम्नानुसार होगा :-

राज्य अपीलीय फोरम :-

- | | | |
|-----|--|------------|
| (1) | भारसाधक मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | अध्यक्ष |
| (2) | भारसाधक मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग | सदस्य |
| (3) | भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग | सदस्य |
| (4) | भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विधायी कार्य विभाग | सदस्य |
| (5) | भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | सदस्य सचिव |

राज्य अपीलीय फोरम की गणपूर्ति चार की होगी एवं अनुक्रमांक 2 अथवा 3 पर अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता अथवा अन्य विवाद की दशा में भी राज्य अपीलीय फोरम द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी माना जावेगा।

(8.2) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000, मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 2000, वृहद उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 5000 तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में रूपये 10000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा । **शुल्क जमा किये जाने के लिये बजट शीर्ष निम्नानुसार होंगे :-**

राज्य स्तर के प्रकरणों हेतु	जिला स्तर के प्रकरणों हेतु
0852 उद्योग	0851 उद्योग
(80)उपभोक्ता(उद्योग)	(80)उपभोक्ता (उद्योग)
800-(अन्य प्राप्तियां)	800-(अन्य प्राप्तियां)
0674-अन्य प्राप्तियां	0674-अन्य प्राप्तियां

(8.3) अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा ।

(8.4) विलंब से प्राप्त आवेदनों पर/अधिसूचना से संबंधित किसी बिन्दु पर राज्य स्तरीय समिति को प्रकरण के गुण दोष के आधार पर विलम्बित अवधि को शिथिल करने/निर्णय लिये जाने का अधिकार होगा ।

(8.5) राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये ऐसा आदेश पारित किया जावेगा जैसा कि योजना एवं अधिसूचना के अधीन उचित समझा जावे ।

(9) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वसूली

निम्न स्थितियों में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी—

(9.1) औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की स्वीकृति/राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है ।

(9.2) औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4.3 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है ।

(9.3) यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण-पत्र/ विकलांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र/ सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण-पत्र/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण-पत्र /अप्रवासी भारतीय/शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

(9.4) उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

(9.5) प्रतिवर्ष उत्पादन व विक्रय संबंधी जानकारी/अंकेक्षित लेखे उद्योग संचालनालय / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को न दिया जावे ।

(9.6) यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो ।

(9.7) यदि किसी न्यायालय द्वारा उद्योग को बंद करने का आदेश पारित किया गया हो ।

(9.8) उपर्युक्त बिन्दु 9.1 से 9.7 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश, जिला / राज्य स्तरीय समिति की ओर से क्रमशः मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किये जायेंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

(10) अनुदान प्राप्तकर्ता औद्योगिक इकाई का दायित्व :-

(10.1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने रु. 25 लाख से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। रु. 25 लाख से कम अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन व विक्रय की जानकारी 5

वर्ष तक देनी होगी। यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी।

(10.2) औद्योगिक इकाई को अनुदान के प्रथम वितरण दिनांक के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा।

(10.3) अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय की पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(10.4) अनुदान स्वीकृति के उपरांत भी अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र० 4.3 में उल्लेखित प्रतिशत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक बनाये रखना होगा।

(11) स्वप्रेरणा से निर्णय :-

इन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राज्य स्तरीय समिति का एवं राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति का अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा।

(12) योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय सक्षम होंगे। अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।

(13) इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

(14) नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(15) योजना का क्रियान्वयन – योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 222/सी.एन./00000149/बजट-5/वित्त/चार/2012 दिनांक 24/03/2012 के संदर्भ में जारी की गयी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

हस्ताक्षरित

(व्ही.के. छबलानी)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर सूचनार्थ ।
- 2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- 3 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिककर विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- 4 महालेखाकार छत्तीसगढ़, विधानसभा रोड, रायपुर ।
- 5 आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, पण्डरी, रायपुर को सूचनार्थ ।
- 6 आयुक्त, वाणिज्यिककर विभाग, सिविल लाईन्स, रायपुर
- 7 प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. पण्डरी, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 8 समस्त कलेक्टर, जिला(छत्तीसगढ़) ।
- 9 महाप्रबंधक/समन्वयक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, रायपुर
- 10 समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, (छत्तीसगढ़) ।
- 11 नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगाँव, जिला राजनांदगाँव को उपरोक्त अधिसूचना का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन कर 250 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ताक्षरित
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

औद्योगिक नीति 2009-14 का परिशिष्ट-2
(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें लागत पूंजी अनुदान की पात्रता नहीं है)

- (1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण
- (2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
- (3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
- (4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग
- (5) चूना निर्माण
- (6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग
- (7) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
- (8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
- (9) स्पंज आयरन
- (10) राईस मिल
- (11) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लंकर
- (12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
- (13) आरा मिल (साँ मिल)
- (14) लेदर टैनरी
- (15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)
- (16) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग
- (17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

.....

टीप:- संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी ।

औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-5 में सम्मिलित उद्योग,
जिन्हें छूट/रियायत की पात्रता नहीं होगी

- अ- सीमेंट / क्लंकर प्लांट
- ब- इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट
- स- एल्यूमिना / एल्युमिनियम प्लांट
- द- ताप विद्युत संयंत्र

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

- 1- जिला – रायपुर
विकास खण्ड – धरसीवां, तिल्दा, अभनपुर, बलौदाबाजार, सिमगा, आरंग, भाटापारा, पलारी ।
- 2- जिला-बिलासपुर
विकासखंड – बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी ।
- 3- जिला-दुर्ग
विकास खंड – बेमेतरा, साजा, धमधा, पाटन, गुंडरदेही, गुरुर, बालोद, बेरला, दुर्ग ।
- 4- जिला – राजनांदगांव
विकास खंड – राजनांदगांव ।
- 5- जिला – महासमुंद
विकास खंड – महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली ।
- 6- जिला – धमतरी
विकास खण्ड – धमतरी, कुरुद, ।
- 7- जिला – कबीरधाम
विकास खण्ड – कवर्धा ।
- 8- जिला – जांजगीर-चांपा
विकास खण्ड- डभरा, अकलतरा, सक्ती, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), पामगढ़, बलौदा ।
- 9- जिला – रायगढ़
विकास खण्ड – रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया ।
- 10- जिला – कोरबा
विकास खण्ड – कोरबा, कटघोरा ।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

- 1- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, उत्तर बस्तर कांकेर एवं बस्तर के समस्त विकासखंड
- 2- दुर्ग जिला - डौंडी, नवागढ़, एवं डौंडी-लोहारा विकासखंड ।
- 3- राजनांदगांव जिला - अंबागढ़-चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़ विकासखंड ।
- 4- रायपुर जिला - गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, कसडोल, फिंगेश्वर एवं बिलाईगढ़ विकासखंड ।
- 5- धमतरी जिला - नगरी एवं मगरलोड विकासखंड ।
- 6- रायगढ़ जिला - धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा विकासखंड ।
- 7- बिलासपुर जिला - गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तूरी विकासखंड ।
- 8- महासमुंद जिला - बसना एवं पिथौरा विकासखंड ।
- 9- कबीरधाम जिला - पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला विकासखंड ।
- 10- जांजगीर-चांपा जिला - मालखरौदा एवं जैजेपुर विकासखंड ।
- 11- कोरबा जिला - करतला, पोड़ी-उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड ।

(नियम 6.1)

“छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2009” के अन्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का आवेदन प्रारूप)

- 1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता
- 2- औद्योगिक इकाई का संगठन
- 3- उद्यमी का वर्गीकरण – सामान्य /अप्रवासी भारतीय –शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक /अनुसूचित जाति/ जनजाति / महिला /विकलांग/ सेवा निवृत्त सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति
- 4- औद्योगिक इकाई का प्रकार- सूक्ष्म एवं लघु/ मध्यम/वृहद / मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट
- 5- औद्योगिक इकाई का स्वरूप- नवीन / विस्तार/ शक्तीकरण/फारवर्ड इंटीग्रेशन / बैकवर्ड इंटीग्रेशन
- 6- औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल
 - 1 स्थान
 - 2 विकास खण्ड
 - 3 जिला
- 7- पंजीयन
 - 1- लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट-1/आशय पत्र /औद्योगिक लायसेंस/आई0ई0एम0
 - 2- ई0एम0 पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र
 - 3- वेट कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
 - 4- पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति
 - अ- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत)
 - ब- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत)
 - स- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)
 - द- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)
 - ई- भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)
 - 5- कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
 - 6- भूमि व्यपवर्तन / निर्धारण आदेश
 - 7- स्थानीय निकायों का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रस्ताव
- 8- कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक
- 9- वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
- 10- उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

11- योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)

क्र0	मद का नाम	राशि
(1)	भूमि - (भूमि का रकबा) अ- वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम/ ब- मुद्रांक शुल्क स- पंजीयन शुल्क योग-	
(2)	शेड-भवन - 1 फ़ैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्युरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग-	
(3)	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) - 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण 3 अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण 4 परीक्षण उपकरण 5 स्थापना संबंधी व्यय योग-	
(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश - अ- छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ब- कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश योग-	
(5)	जल आपूर्ति निवेश - औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) योग-	
	महायोग-	

12- योजना/सकल पूंजीगत लागत के स्रोत-

- 1- स्वयं के स्रोत
- 2- अंश पूंजी
- 3- ऋण
 - अ- वित्तीय संस्थाओं से ऋण
 - ब- बैंकों से ऋण
- 4- योग

13- रोजगार-

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ				
ब				
स				
कुशल वर्ग अ				
ब				
स				
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ				
ब				
स				
योग				

14- विद्युत भार-

15- औद्योगिक इकाई के स्वामित्व / नियंत्रणाधीन अन्य उद्योगों का विवरण -

1- नाम व पता

2- कारखाना स्थल

अ- ग्राम / नगर

ब- तहसील

स- जिला

द- विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान / छूट एवं रियायतों का विवरण

16- आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने का कारण

17- पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान / मार्जिन मनी अनुदान प्राप्त किया हो तो उसका विवरण

18- अन्य

19- संलग्न दस्तावेजों की सूची

टीप- उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी दी जावे, कोई बिन्दु रिक्त न रहें ।

स्थान-

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक -

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

- 1- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।
- 2- छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2009 में अनुदान वितरण की प्रक्रिया जो विभाग द्वारा अपनाई जावेगी वह मुझे स्वीकार है।
- 3- "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2009" के प्रावधानों का पूर्ण पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा।
- 4- यह भी शपथपूर्वक घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं एक तिहाई रोजगार उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा।
- 5- औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में स्थायी पूंजी अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में स्थायी पूंजी अनुदान हेतु आवेदन किया है/अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है।

- 6- औद्योगिक नीति 2009-14 के अन्तर्गत स्थापित उद्योग सामान्य श्रेणी/ प्राथमिकता श्रेणी का उद्योग है।
- 7- उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी।

स्थान -
दिनांक -

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

(नियम 6.1)
(अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....
छत्तीसगढ़

मेसर्स पता.....
..... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2009
..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..... (अक्षरी).....
..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक है ।
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें)

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की
सील

प्रति,
मेसर्स.....
.....
.....

(नियम 6.2)

“स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्लेम का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन”

निरीक्षण / सत्यापन दिनांक.....

- 1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता-
- 2- उद्योग का संगठन-
- 2- **उद्यमी का वर्गीकरण** - सामान्य /अप्रवासी भारतीय -शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक /अनुसूचित जाति/ जनजाति / महिला / विकलांग/सेवानिवृत्त सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति
- 3- **औद्योगिक इकाई का प्रकार-** सूक्ष्म एवं लघु/ मध्यम/वृहद/ मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट
- 4- **औद्योगिक इकाई का स्वरूप-** नवीन / विस्तार/ शक्तीकरण/ फारवर्ड इंटीग्रेशन / बैकवर्ड इंटीग्रेशन
- 5- **औद्योगिक इकाई का फौक्री स्थल**
 - 1 स्थान
 - 2 विकास खण्ड
 - 3 जिला
- 6- **पंजीयन**
 - 1- लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0 पार्ट-1/आशय पत्र /लायसेंस/आई0ई0एम0
 - 2- ई0एम0 पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र
 - 3- प्रांतीय वाणिज्यिक कर पंजीयन
 - 4- केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन
 - 5- पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति
 - अ- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत)
 - ब- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत)
 - स- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)
 - द- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)
 - ई- भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)
- 6- कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत पंजीयन
- 7- भूमि व्यपवर्तन आदेश
- 8- स्थानीय निकायों का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- 7- **कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक**
- 8- **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक**
- 9- उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

10— सकल पूंजीगत लागत का विवरण

क्र०	प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार सकल पूंजीगत लागत	राशि	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रूपों में
(1)	<p>भूमि – अ– भूमि का रकबा ब– वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम/ स– मुद्रांक शुल्क द– पंजीयन शुल्क योग</p> <p>(2) शेड-भवन – 1 फ़ैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग</p> <p>(3) प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) – 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण 3 परीक्षण उपकरण 4 स्थापना संबंधी व्यय योग</p> <p>(4) विद्युत आपूर्ति निवेश – अ– छ०ग० राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्यूरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ब– केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश योग</p> <p>(5) जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्यूरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) योग–</p>		
	महायोग		

11- रोजगार-

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल वर्ग अ ब स योग					
2	कुशल वर्ग अ ब स योग					
3	प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ ब स योग					
	महायोग					

12- सकल पूंजी निवेश संबंधी भौतिक स्थिति

- 1- भूमि (आवंटित भूमि व औद्योगिक उपयोग में लाई गयी भूमि का विवरण)
- 2- भूमि विकास (समतलीकरण, गहरीकरण व डेनेज निर्माण)
- 4- विद्युत आपूर्ति (व्ययों का विवरण)
- 5- जल आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

13- विद्युत भार-

15- औद्योगिक इकाई की अन्य इकाईयों को दिये गये अनुदान/छूट एवं रियायतों पर टीप (यदि लागू हो)-

- 1- नाम व पता
- 2- कारखाना स्थल
- अ- ग्राम / नगर
- ब- तहसील
- स- जिला

20— टीप/अभिमत/ अनुशंसा

- 1— भौतिक स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के समय गेस्ट हाउस, पूजा घर, मंदिर, कर्मचारी आवास, आवासीय मकान, बाउन्ड्रीवाल, पार्क एवं भूमि विकास पर किये गये निवेश के संबंध में ।
- 2— स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची का सत्यापन इकाई की लेखा पुस्तकों से किये जाने बाबत् ।
- 3— पूर्व में प्राप्त स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/ मार्जिन मनी अनुदान के संबंध में ।
- 4— विलंबित आवेदनों पर इकाई द्वारा बताये गये विलंब के कारणों पर अभिमत ।
- 5— भारत सरकार/ राज्य शासन या इसके किसी अन्य विभाग/ निगम/ बोर्ड / आयोग/ मंडल/ वित्तीय संस्था/ बैंक से अनुदान प्राप्त न करने बाबत् टीप संतुप्त श्रेणी के उद्योग/ कोर सेक्टर के उद्योगों के सन्दर्भ में पात्रता टीप ।
- 6— स्थायी पूंजी निवेश को अमान्य करने के कारण (मदवार, राशिवार) ।
- 7— विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान/ छूट एवं रियायतों का विवरण ।
- 8— अनुदान की पात्रता के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा ।
- 9— स्थायी पूंजी निवेश की सूची का लेखा पुस्तकों से सत्यापन किये जाने के संबंध में टीप ।
- 10— अन्य बिंदु, जो क्लेम प्रकरण पर निर्णय लेने हेतु आवश्यक समझे जावें ।

निरीक्षण कर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)

नाम

पद

कार्यालय

निरीक्षणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा/ अभिमत एवं टीप पर
मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक की अनुशंसा एवं अभिमत

“उपाबंध-7”

(नियम 6.1 (8))

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र)

(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1- औद्योगिक इकाई
 जिसका पंजीकृत पता है व फैक्ट्री..... में स्थित है, जिसका ई0एम0 पार्ट-1 क्र0 एवं ई0एम0 पार्ट-2/आई.ई.एम. क्रमांक एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... दिनांक है व जिसके अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक ... है, में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक..... तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत निम्नानुसार रूपये.....(अक्षरों में)..... है, का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:-

क्र0	विवरण	निवेशित राशि	वास्तविक भुगतान की गयी राशि
(1)	भूमि - अ- भूमि का रकबा ब- वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम / स- मुद्रांक शुल्क द- पंजीयन शुल्क योग		
(2)	शेड-भवन - 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग		
(3)	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण 3 परीक्षण उपकरण 4 स्थापना संबंधी व्यय योग		
(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश - अ- छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्यूरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)		

(5)	ब- केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश योग जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)		
	योग		

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक

“उपाबंध-8”

(नियम 6.1 (9))

(चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण-पत्र)
(लेटर हैड पर)

1- औद्योगिक इकाई
.....जिसका पंजीकृत पता है व फैक्ट्री..... में स्थित है, जिसका ई0एम0 पार्ट-1 क्र0 ई0एम0 पार्ट-2 क्रमांक / आई.ई.एम. / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... दिनांक है, ने दिनांक.....तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत निम्नानुसार रूपये.....(अक्षरों में)..... है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:-

क्र0	विवरण	मात्रा / साईज	दर	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
(1)	शेड-भवन - 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग			
(2)	अन्य सामाजिक / अधोसंरचना पर किया गया व्यय - गेस्ट हाउस, पूजा घर, मंदिर, कर्मचारी आवास, आवासीय मकान, बाउन्ड्रीवाल			
(3)	भूमि विकास (भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण, ड्रेनेज निर्माण व अन्य)			
	योग			

स्थान :

दिनांक:

चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक

(नियम 6.1 (10))
स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची

शीर्ष – भूमि, शेड-भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश

क्र.	दिनांक	विक्रेता / भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम व पता	विवरण (जिस मद में निवेश / व्यय किया गया है)	देयक क्रमांक / चालान क्रमांक	राशि

	(1)		(2)
स्थान—	हस्ताक्षर	स्थान—	हस्ताक्षर
दिनांक—	आवेदक इकाई का नाम व पता	दिनांक—	नाम व पता सील चार्टर्ड एकाउण्टेंट क्रमांक व दिनांक

- टीपः— 1— सूची तिथिवार व मदवार क्रम से होना चाहिये ।
3— सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जाये ।
4— प्रत्येक निवेश / व्यय शीर्ष हेतु पृथक-पृथक सूची प्रस्तुत की जावे— जैसे भूमि, शेड भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश आदि
5— सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेंट के हस्ताक्षर युक्त हो ।

“उपाबंध-10”

(नियम 6.4)

स्थायी पूंजी अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. के अन्तर्गत)

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2009 के नियम क्रमांक “6.3” में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार स्थायी पूंजी अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

- 1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता :
 - 2- उद्योग का स्वरूप :
(नवीन/ विस्तार/ शक्तीकरण/ फारवर्ड इंटीग्रेशन/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन)
 - 3- उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता-
 - 4- वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
 - 5- औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल-
(स्थान, विकास खंड व जिला)
 - 6- अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश -
 - 7- स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)
- (2) यह राशि वित्तीय वर्ष- के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी -
.....
.....
- (3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा एवं कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्तीकरण योग्य होगा ।

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

आयुक्त/ संचालक,
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़